न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– **01/2023**

प्रदीप कुमार पुत्र हनुमान जाति गूर्जर निवासी मेहाड़ा गूर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

.....................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

.....................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत वाहन सुपुर्दगी
अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मनीराम सिराधना	अभिभाषक	प्रार्थी
2. श्री उदयभान सिंह, अपर लोक अभियोजक	अभिभाषक	अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांक :– 29.08.2023**

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि प्रार्थी के पास स्वयं कि वाहन संख्या आर.जे.53 जीए–0399 पिकअप है जिसे प्रताप टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बसई सर्किल के आस पास स्थित टावरों के जनरेटरों में डीजल डालने हेतु 17 रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराये पर उक्त कंपनी के इंफरा इंजीनियर श्री दिलीप कुमार द्वारा तय किया गया था। उक्त वाहन द्वारा प्रार्थी गत छःह माह से डीजल लाकर उक्त टावरों में सप्लाई करता रहा है एवं उक्त कंपनी द्वारा तयशुदा किराया प्राप्त करता रहा है।
2. यह कि दिनांक 04.08.2020 को बसई सर्किल के आस पास स्थित टावरों में डीजल सप्लाई करने हेतु डीजल व कर्मचारीगण के वाहनों हेतु पेट्रोल उपरोक्त दिलीप कुमार के बताए अनुसार जांगिड़ फिलिंग स्टेशन चला (नीमकाथाना) से 450 लीटर डीजल व 200 लीटर पेट्रोल खरीदकर रसीद संख्या 62637 लेकर आया था एवं बसई सर्किल पर जाने हेतु नीमकाथाना से बसई वाया सिहोड़, बेसरडा के कच्चे रास्ते से होते हुये जा रहा था। जहां पर बसई के पास कच्चे रास्ते पर पुलिस [illegible] झुंझुनू द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी तथा प्रार्थी को रुकवाया जाने [illegible] ने वाहन में उक्त डीजल–पेट्रोल ग्राम चला (नीमकाथाना) जांगिड़ फिलिंग [illegible] हुआ होना बताया परन्तु डी.एस.टी. टीम द्वारा [illegible] व वाहन में मौजूद 450 लीटर डीजल व 200 [illegible] को जब्त कर लिया जो कि सरासर गलत किया है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:16 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि प्रार्थी के वाहन को पुलिस/डी.एस.टी. द्वारा गलत रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जब्त किया जो थाने में खड़े रहने से खराब होने की संभावना है एवं अन्वीक्षा में काफी समय लगने से वाहन को सुपुर्दगी पर छोड़ा जाना न्यायहित में आवश्यक है।
4. यह कि प्रार्थी उक्त वाहन का मालिक है तथा समस्त कागजात प्रार्थी के हक में है तथा प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकारी है।
5. यह कि माननीय न्यायालय हाजा द्वारा उक्त वाहन को तलब किया जावेगा तो प्रार्थी अपने खर्चे पर पेश करता रहेगा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सुपुर्दगी वाहन संख्या आर.जे.–53 जीए–0399 पिकअप पेश कर निवेदन है कि उक्त वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर देने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा से प्रकरण में वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट ली गई। थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट क्रमांक 4433 दिनांक 28.08.2023 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0141/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जप्त शुदा पिकअप गाड़ी आर.जे. –53 जीए–0399 के रजिस्टर्ड मालिक प्रदीप को तलब कर उक्त गाड़ी के मूल कागजात रजिस्ट्रेशन, ऑनलाईन इन्श्योरेन्स की प्रति व चालक प्रदीप का ड्राईविंग लाईसेंस जरिये फर्द जप्ती जप्त किया गया तथा वाहन मालिक को नोटिस अन्तर्गत धारा 133 एमवी एक्ट का दिया जाकर लिखित जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। मुकदमा हाजा में जप्तशुदा पिकअप गाड़ी आर.जे.–53 जीए–0399 के संबंध में अनुसंधान शेष नहीं है। मुकदमा हाजा में अनुसंधान जारी है।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि पिकअप गाड़ी आर.जे.–53 जीए–0399 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना मेहाड़ा में जप्त है। उक्त वाहन की पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी उक्त वा. हन से अपनी आजीविका चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है जिसके लिए प्रार्थी अपने उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने में धूप बरसात में खड़े रहने से उसके रंग रोगन उड़ने एवं खराब होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के अन्त में कथन किया कि प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उसकी पिकअप गाड़ी नम्बर आर.जे.–53 जीए–0399 को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सरकार पक्ष की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की रिपोर्ट क्रमांक 4433 दिनांक 28.08.2023 के अनुसार वाहन पिकअप गाडी नम्बर आर.जे.–53 जीए–0399 के संबंध में अनुसंधान शेष नहीं है। अधिवक्ता सरकार पक्ष ने बहस के अन्त में कथन किया कि जब वाहन से संबंधित अनुसंधान शेष नहीं है, तो वाहन को रजिस्टर्ड मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:16 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, [illegible] थानाधिकारी पु. लिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट के अभि[illegible] किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट के अनुसार वाहन पिकअप गाड़ी नम्बर आर.जे.–53

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

जीए–0399 के संबंध में अनुसंधान शेष नहीं है, तो वाहन को रजिस्टर्ड मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0141/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जप्त शुदा पिकअप गाड़ी आर.जे.–53 जीए–0399 को उसके रजिस्टर्ड मालिक प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0141/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुलिस थाना मेहाड़ा में जप्त शुदा पिकअप गाड़ी RJ 53 GA 0399 को उसके रजिस्टर्ड मालिक प्रार्थी को 3,80,000/– (अंकेही तीन लाख अस्सी हजार रूपये) का जमानतनामा एवं इतनी ही राशि का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति सहित थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
जिला नीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:16 IST
Reason: SelfAttested